सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 04.11.2023

गोण्डा पुलिस का गैर जमानती वारण्टियों के विरूद्ध बडी कार्यवाही, 02 दिवस के विशेष अभियान के तहत 92 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने आगामी त्योहारों को शान्ति पूर्वक, सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे विभिन्न मा0न्यायालय से लम्बित गैर जमानतीय वारण्ट(एन0बी0डब्लू) के सम्बन्ध में विशेष अभियान चला कर अधिक से अधिक गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को कड़े निर्देश दिये गये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में 02 दिवस के विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा के नेतृत्व में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो ने थाना स्तर पर टीमों का गठन कर 02 दिवस का विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें समस्त थानों से कुल 92 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्तों (कोतवाली नगर पुलिस ने 12, थाना को0देहात पुलिस ने 06, थाना खरगूपुर पुलिस ने 02, थाना इटियाथोक पुलिस ने 04, थाना मोतीगंज पुलिस ने 02, थाना धानेपुर पुलिस ने 06, थाना मनकापुर पुलिस ने 04, थाना को0करनैलगंज पुलिस ने 12, थाना कटराबाजार पुलिस ने 16, थाना कौडिया पुलिस ने 03, थाना तरबगंज पुलिस ने 01, थाना वजीरगंज पुलिस ने 06, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 05, थाना नवाबगंज पुलिस ने 10, थाना छपिया पुलिस ने 01, थाना खोडारे पुलिस ने 01 वारण्टीयों) को गिरफ्तार किया गया। जो विभिन्न मा0न्यायालयों से काफी दिनों से वांछित चल रहे थे।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आगामी त्यौहारो को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु विशेष अभियान चलाकर अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 04.11.2023

रौब जमाने के लिए सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे का प्रदर्शन करने वाला अभियुक्त तमंचा सहित गिरफ्तारः-

सोशल मीडिया पर थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के अन्तर्गत एक लड़के का अवैध तमंचे का प्रदर्शन करने का वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें वह लड़का रौब जमाने के लिए असलहा का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा था। वायरल वीडियो का संज्ञान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा लेते हुए तत्काल थानाध्यक्ष को कार्यवाही कर अभियुक्त की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने व उस अवैध तमंचे को बरामद करने के लिये कड़े निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने अवैध तमंचे का प्रदर्शन करने वाले अभियुक्त राहुल पासवान को मुखबिर खास की सूचना पर डरौली चौराहे के आगे खेमपुरवा जाने वाले कर्बला मैदान के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राहुल पासवान पुत्र भगौता उर्फ भगौती निवासी अकौनी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 343/23, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 राजेश कुमार मय टीम थाना उमरीबेगमगंज गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 04.11.2023

लडकी से छेडछाड करना व मना करने पर जान से मारने की नियत से गला कसने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं से घटित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 धानेपुर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का वांछित अभियुक्त रवि शुक्ला उर्फ धर्मेन्द्र शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना धानेपुर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ करने लगा तथा मना करने पर जान से मारने की नियत से गला कसने लगा था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना धानेपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. रवि शुक्ला उर्फ धर्मेन्द्र शुक्ला पुत्र रामपवन शुक्ला निवासी छेदकपुरवा बनगाई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-343/23 धारा 341, 307, 354, 354घ, 452, 323, 504 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-
01. उ0नि0 अवधेश यादव मय टीम थाना धानेपुर,जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 04.11.2023

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान कूड़ासन बाजार के पास से अभियुक्त मदन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1.250 किलोग्राम अवैध गाँजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मदन पुत्र स्व0 रामदुलारे निवासी ग्राम कोटिया बनकसिया शिवरतन सिंहपुरवा थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-591/23, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 1.250 किलोग्राम अवैध गाँजा बरामद।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 अखिलेश राही मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 04.11.2023

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत पुरस्कार घोषित/गैगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। जिसके क्रम में थाना को0 नगर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनाकं 04.11.2023 को थाना को0नगर पुलिस ने क्षेत्रभ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर गैंगेस्टर ऐक्ट के वांछित अभियुक्त आदित्य जयसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त थाना को0 नगर में पंजीकृत मु0अ0स0 866/2023 धारा 3(1)यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वाछिंत था अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आदित्य जयसवाल पुत्र विजय कुमार जयसवाल निवासी रानीबाजार थाना को0नगर गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-866/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 मनोज कमार सिंह मय टीम जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 04.11.2023

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गैंगेस्टर को हुई 07-07 वर्ष की सश्रम कारावास व रूपए 20-20 हजार के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप 02 गैंगेस्टर को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 20-20 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा गैगेस्टर के आरोपी अभियुक्त 01. अखलाख अहमद 02. रिजवान अंहमद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकिय अधिवक्ता श्री उदय प्रताप वर्मा, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर का0 हरेश कुमार व थाना इटियाथोक के पैरोकार का0 शैलेन्द्र कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तो को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष स0 05/विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर एक्ट) गोण्डा द्वारा 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व रू 20-20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. अखलाख अहमद पुत्र स्व0 इजहार हुसैन निवासी नवानगर, थाना जरवा, जिला गोण्डा।
02. रिजवान अहमद पुत्र शेर मोहम्मद निवासी कोहला हरैया सतघटना थाना हरैया जिला बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-313/12, धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।